फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की वर्ष के दौरान प्रमुख पहल/उपलब्धियां/कार्यक्रम निम्नानुसार है

1. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत *जन औषधि केंद्रों* (जेएके) के नाम से जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट के माध्यम से सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। देश भर में 30 नवंबर 2024 तक कुल 14,320 जन औषधि केंद्र खोले गएहैं।

इस योजना के उद्देश्य

(क) सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां एवं सर्जिकल/चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियां/उपकरण उपलब्ध कराना और इस प्रकार उपभोक्ताओं/रोगियों की जेब होने वाले खर्च को कम करना।

(ख)लोगों के बीच जेनेरिक दवाओं को लोकप्रिय बनाना और इस प्रचलित धारणा को दूर करना कि कम कीमत वाली जेनेरिक दवाएं घटिया गुणवत्ता वाली या कम प्रभावी होती हैं।

(ग) जन औषधि केन्द्र खोलने और चलाने में व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके रोजगार पैदा करना।

मुख्य विशेषताएं

- जन औषधि केंद्र मालिकों को 20,000 रुपये तक की मासिक खरीद पर 20 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है, जो कुछ शर्तों के अधीन है, जैसे कि निर्दिष्ट दवाओं के स्टॉक को बनाए रखना।
- पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों (आकांक्षी जिलों) में खोले गए जन औषधि केंद्रों या महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा खोले गए केंद्रों को फर्नीचर और फिक्सचर आदि के लिए सहायता के रूप में दो लाख रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की कीमतों से 50 से 80 प्रतिशत तक कम होती हैं।

- उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
- गोदामों में पहुंचने के बाद दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)' द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

उत्पाद समूह

पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 2047 दवाएं और 300 सर्जिकल/चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियां/उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कि एंटी-इंफेक्टिव, एंटीडायबिटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर-रोधी, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल दवाएं आदि को कवर करते हैं। वर्ष 2024 में, 288 दवाएं और 20 अन्य वस्तुओं को उत्पाद समूह में जोड़ा गया है।

सुविधा सेनेटरी नैपकिन

महिलाओं के लिए किफायती कीमतों पर मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से 1 रुपये प्रति पैड की दर से जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 30 नवंबर 2024 तक इन केंद्रों के माध्यम से 64.55 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सेनेटरी पैड बेचे जा चुके हैं। इसमें से 13.82 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड वर्ष 2024 में 30 नवंबर 2024 तक बेचे जा चुके हैं।

लोगों को हुई बचत

2023-24 में, पीएमबीआई ने 1470 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की, जिससे लोगों को लगभग 7350 करोड़ रुपये की बचत हुई। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में, 30 नवंबर 2024 तक, पीएमबीआई ने 1255 करोड़ रुपये की बिक्री की है, जिससे लोगों को लगभग 5020 करोड़ रुपये की बचत हुई है। पिछले दस वर्षों में इस परियोजना के तहत लगभग 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

प्रगति रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष	**कार्यरत जन औषधि केंद्रों की संख्या**		**एमआरपी मूल्य पर बिक्री करोड़ रुपये में**
	साल भर में जोड़े गए	**कुल**	
2023-24	1957	11261	1470
2024-25 (30 नवंबर 2024 तक)	3059	14320	1255

केन्द्रों की व्यावहारिकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

i. लगभग सभी पुरानी और गंभीर बीमारियों को कवर करने वाली दवाओं की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराने के लिए उत्पाद समूह का लगातार विस्तार किया जा रहा है

ii. राज्य के स्वास्थ्य विभागों और संबद्ध सरकारी प्राधिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जन औषधि स्टोर खोलने के लिए किराया मुक्त स्थान उपलब्ध कराएं।

iii. लोगों के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, आउटडोर, रेडियो और सोशल मीडिया आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पीएमबीजेपी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण भी अपना रही है। स्टोर मालिकों, डॉक्टरों और विभिन्न महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों के साथ पूरे भारत में प्रचार कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

iv. बेहतर उपलब्धता के लिए जन औषधि केंद्रों को प्रोत्साहन राशि के वितरण हेतु पात्रता शर्त के रूप में तेजी से बिकने वाली 200 दवाओं के भंडारण के साथ न्यूनतम भंडारण अधिदेश कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2024 में की गई पहल

- पीएमबीआई और एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के बीच 8 जनवरी 2024 को अन्य देशों को जन औषधि जेनेरिक दवाओं के निर्यात के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- देशभर में नए केंद्र खोलने के इच्छुक आवेदकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर परियोजना ऋण और मौजूदा केंद्रों को कार्यशील पूंजी की ऋण सुविधा के लिए 12 मार्च 2024 को नई दिल्ली में सिडबी और पीएमबीआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- मॉरीशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र 17 जुलाई 2024 को माननीय विदेश मंत्री, भारत सरकार और मॉरीशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में खोला गया।
- बुर्किना फासो और दूतावास के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के बारे में जानने के लिए 21 अगस्त 2024 को पीएमबीआई मुख्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान पीएमबीआई के सीईओ ने भारत में जन औषधि की अवधारणा और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनाया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से बताया। प्रतिनिधियों ने सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता के बारे में पीएमबीजेपी मॉडल के बारे में विस्तृत चर्चा की और बुर्किना फासो में इस योजना को लागू करने में गहरी रुचि व्यक्त की।
- फिजी फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोमेडिकल सर्विसेज (एफपीबीएस) के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल को भारत में जन औषधि आउटलेट के कामकाज को जानने का अवसर मिला। उन्होंने भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की और अपने देश में इस योजना को लागू करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई।
- राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में 17 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में 50 जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया। इन जन औषधि केंद्रों का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जाएगा। इन केंद्रों पर लोगों को बहुत सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को एम्स नई दिल्ली, एम्स बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) और एम्स कल्याणी (पश्चिम बंगाल) के परिसरों में नए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया, जो पूरे भारत में सस्ती स्वास्थ्य सेवा पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, इन केंद्रों का उद्देश्य सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है, जिससे देश भर में लाखों लोगों को लाभ मिल सके।
- पीएमबीआई ने 14 से 15 अक्टूबर, 2024 तक नई दिल्ली, यशोभूमि, आईसीसी, दिल्ली में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा आयोजित औषधि नियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के बारे में 150 प्रतिभागी देशों के अधिकारियों और दुनिया भर के डब्ल्यूएचओ अधिकारियों के बीच जागरूकता फैलाना था। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने पीएमबीजेपी मॉक-अप स्टॉल का उद्घाटन किया और

जन औषधि को सभी को सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के उल्लेखनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

- माननीय प्रधानमंत्री ने भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में 18 नए जन औषधि केंद्रों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। अब तक 69 रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और इन 18 नए केंद्रों का उद्घाटन जन औषधि परियोजना की सफलता को दर्शाता है, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को सस्ती कीमतों पर दवाएं उपलब्ध होंगी।
- पीएमबीजेपी ने 29 नवंबर 2024 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स (सीएपीएफ, एनएसजी और एआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सीएपीएफ, एनएसजी और एआर (एमएचए) अस्पतालों और अन्य चिकित्सा प्रतिष्ठानों में जन औषधि दवाएं उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बढ़ाना है।
- पीएमबीजेपी ने 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) 2024 में भाग लिया और 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हॉल नंबर 4, स्टॉल नंबर 4एच-01-बी में जन औषधि मॉडल शॉप का प्रदर्शन किया। आम लोगों को जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया और सभी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के बारे में बताया गया।

हरियाणा के गुरुग्राम में पीएमबीजेपी का सेंट्रल वेयरहाउस

जन औषधि केंद्र

जन औषधि केन्द्र
जन औषधि

नई दिल्ली स्थित एम्स में जन औषधि केंद्र

जन औषधि
जन औषधि
दवाइयाँ

मॉरीशस में जन औषधि केंद्र

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र

2. भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम), ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:

भारत में महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स और सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य 41 चिन्हित थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि उनकी आयात पर अधिक निर्भरता को कम किया जा सके। इस योजना का कुल परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि 2020-21 से 2029-30 तक है। इस योजना के तहत 41 थोक दवाओं के पात्र निर्माताओं को आधार वर्ष की तुलना में उनकी वृद्धिशील बिक्री पर छह वर्षों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। किण्वन आधारित पात्र उत्पादों के लिए, पहले चार वर्षों (2023-2024 से 2026-2027) के लिए प्रोत्साहन की दर 20 प्रतिशत है, पांचवें वर्ष (2027-28) के लिए यह दर 15 प्रतिशत है और छठे वर्ष (2028-2029) के लिए यह दर 5 प्रतिशत है। रासायनिक संश्लेषण उत्पादों के लिए, पूरे छह वर्षों (2022-2023 से 2027-2028) के लिए प्रोत्साहन की दर 10 प्रतिशत है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) है।

उत्पादों की सभी चार श्रेणियों में कुल 249 आवेदन प्राप्त हुए। 249 आवेदनों में से 48 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे 3,938.57 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश और लगभग 9,618 लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान अधिसूचित थोक दवाओं में आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

सितंबर 2024 तक योजना के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है:
स्वीकृत 48 परियोजनाओं में से 34 परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं। 4155.80 करोड़ रुपये का निवेश शुरू हो चुका है और 4241 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। चालू परियोजनाओं से 1330.82 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है जिसमें 403.59 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है।

कुछ चालू परियोजनाओं की झलक:

संयंत्र: लाइफियस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	उत्पाद: पेनिसिलिन-जी (एंटीबायोटिक)
संयंत्र: किनवन प्राइवेट लिमिटेड, नालागढ़, हिमाचल प्रदेश	उत्पाद: क्लैवुलैनिक एसिड (एंटीबायोटिक दवाओं के साथ प्रयोग किया जाने वाला बीटा-लैक्टामेज अवरोधक)

बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के तहत, अक्टूबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पेनिसिलिन जी और क्लैवुलैनिक एसिड के लिए किण्वन-आधारित परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1,910 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित पेनिसिलिन जी एंटीबायोटिक परियोजना देश में सबसे बड़ी किण्वन-आधारित सुविधा है और इससे प्रति वर्ष 2700 करोड़ रुपये के आयात प्रतिस्थापन की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में 450 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इस्तेमाल होने वाले बीटा-लैक्टामेज अवरोधक क्लैवैलेनिक एसिड की परियोजना से प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का आयात प्रतिस्थापन होने की उम्मीद है।

सेंट्रिएंट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2021 में 137.74 करोड़ रुपये के निवेश से एटोरवास्टेटिन उत्पाद के लिए पंजाब के नवांशहर में अपना संयंत्र स्थापित किया है। एटोरवास्टेटिन स्टैटिन नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। इसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए किया जाता है।

आंध्र ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने तीन उत्पादों ओल्मेसार्टन (उच्च रक्तचाप का इलाज करता है) के लिए जुलाई 2024 में 30.50 करोड़ रुपये के निवेश से, सल्फाडायज़ीन (एंटीबायोटिक) जून 2021 में 38.70 करोड़ रुपये के निवेश से और टेल्मिसर्टन (उच्च रक्तचाप का इलाज करता है) नवंबर 2022 में 40.00 करोड़ रुपये के निवेश से अपना संयंत्र स्थापित किया है।

3. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:

घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को अन्य बातों के अलावा विनिर्माण अक्षमता की अधिक लागत से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की कमी, वित्त की उच्च लागत, सीमित डिजाइन क्षमताएं और अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास में कम निवेश शामिल हैं। अन्य प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में इन चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2020 को “चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना” नामक एक योजना को मंज़ूरी दी गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 29 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए थे।

यह योजना केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं पर लागू है और इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। इस योजना की

अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत, चयनित कंपनियों को भारत में निर्मित और योजना के लक्षित खंडों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में वृद्धि पर 5 प्रतिशत की दर से पांच वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। है। योजना के तहत प्रोत्साहन का विवरण इस प्रकार है:

आवेदक की श्रेणी	**प्रोत्साहन की अवधि**	**प्रोत्साहन की दर**
श्रेणी ए	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	प्रति आवेदक 121 करोड़ रुपये तक 5% की सीमा
श्रेणी बी	वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27	प्रति आवेदक 40 करोड़ रुपये तक 5% की सीमा

इस योजना के अंतर्गत उत्पादों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

I. कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण।
II. रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइस।
III. एनेस्थेटिक्स और कार्डियो- रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण जिनमें कार्डियो रेस्पिरेटरी श्रेणी के कैथेटर और गुर्दे की देखभाल चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
IV. सभी प्रत्यारोपण जिनमें प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) है।

इस योजना के तहत आवेदकों द्वारा सितंबर, 2024 तक की गई संचयी बिक्री 8039.63 करोड़ रुपये (जिसमें 3,844.01 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है) है।

कुछ चालू परियोजनाओं की झलक:

संयंत्र: **फिलिप्स ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज एलएलपी**	उत्पाद: एमआरआई कॉइल्स
WIPRO GE MEDICAL DEVICE MANUFACTURING PVT LTD	
संयंत्र: **विप्रो जीई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड**	उत्पाद: सीटी-स्कैन और एमआरआई

	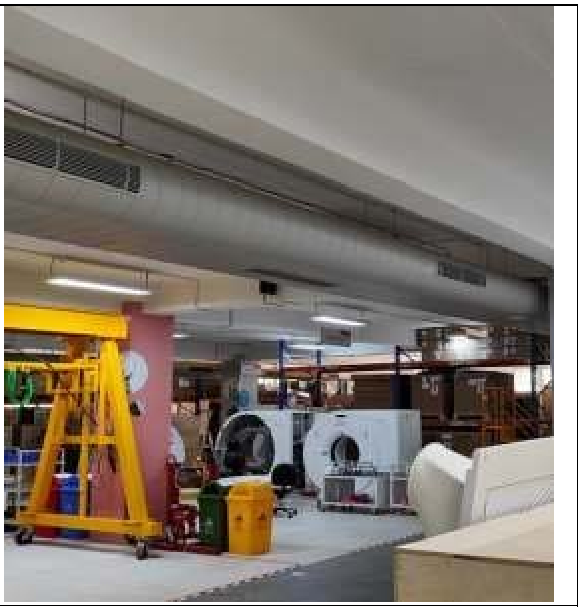
संयंत्र: **सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड**	उत्पाद: सीटी-स्कैन और एमआरआई

इस योजना के तहत 9वें आयुर्वेद दिवस यानी 29 अक्टूबर 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन की गई परियोजनाओं की झलक

प्लांट और लोकेशन	**कुल निवेश (करोड़ रुपये में)**	**स्वीकृत उत्पाद**
मेरिल ग्रुप- वापी-गुजरात में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण सुविधा	1,400	हार्ट वाल्व, स्टेंट, पीटीसीए बैलोन कैथेटर, हिप प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण और ट्रामा इम्प्लांट, हर्निया सर्जिकल मेष प्रत्यारोपण, एंडोकटर, लीनियर स्टेपलर, लीनियर कटर, ट्रोकार, लिटिगेशन क्लिप, हेमोस्टेट्स, इम्पेला, वैस्कुलर क्लोजर डिवाइस आदि।

हैदराबाद के सुल्तानपुर में बॉडी इम्प्लांट्स विनिर्माण सुविधा

BPL Medical Technologies

प्लांट और लोकेशन	कुल निवेश (करोड़ रुपये में) 317	स्वीकृत उत्पाद
बीपीएल टेक्नोलॉजीज - मेडिकल डिवाइसेस पार्क सुल्तानपुर, तेलंगाना	317	सर्जिकल एक्स-रे सी-आर्म, फिक्स्ड एलएफ और एचएफ एक्स-रे उत्पाद, एक्स-रे पैनल, अल्ट्रासाउंड उत्पाद, एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, ओटोमेटेड एक्स्टर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी), ईसीजी, पेशेन्ट मॉनिटरिंग, सिरिंज पंप, डिफिब्रिलेटर, स्ट्रेस टेस्ट सिस्टम

4. फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:

फार्मास्यूटिकल्स के लिए पीएलआई योजना को इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने तथा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। इस योजना का कुल परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है और योजना की अवधि 2020-2021 से 2028-29 तक है।

इस योजना के तहत, तीन उत्पाद श्रेणियों के तहत चिन्हित उत्पादों के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। श्रेणी 1 में ऐसी दवाएं शामिल हैं- बायो-फार्मास्यूटिकल्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक, पेटेंटेड दवाएं या पेटेंट समाप्ति के करीब पहुंच चुकी दवाएं, ऑरफेन दवाएं आदि, श्रेणी-2 में सक्रिय

फार्मास्यूटिकल सामग्री, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट्स आदि शामिल हैं। श्रेणी-3 में ऑटो-इम्यून दवाएं, कैंसर-रोधी दवाएं, मधुमेह-रोधी दवाएं, संक्रमण-रोधी दवाएं, कार्डियोवैस्कुलर दवाएं, मनोविकार-रोधी दवाएं, एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं, इन-विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस आदि शामिल हैं। इन उत्पादों से भारतीय दवा उद्योग के नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों द्वारा किया गया निवेश आगामी वर्षों में मूल्य श्रृंखला में एमएसएमई के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह योजना चयनित आवेदकों को औषधीय सामग्री और इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरणों की बिक्री में वृद्धि (आधार वर्ष की तुलना में) पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो आवेदकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निवेश और बिक्री मानदंडों पर निर्भर करता है। यह प्रोत्साहन उत्पाद श्रेणियों 1 और 2 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10 प्रतिशत की दर से, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2027-2028 के लिए 6 प्रतिशत की दर से है। उत्पाद श्रेणी 3 के लिए प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 3 प्रतिशत की दर पर है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है।

इस योजना के तहत 55 आवेदकों का चयन किया गया है, जिनमें 17,275 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ इन-विट्रो डायग्नोस्टिक्स (आईवीडी) उपकरणों के पांच आवेदक शामिल हैं।

सितंबर 2024 तक योजना के तहत हुई प्रगति इस प्रकार है:

33344.66 करोड़ रुपये का निवेश शुरू हो चुका है और 87,535 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। चयनित आवेदकों द्वारा की गई बिक्री 2,26,992 करोड़ रुपये की है, जिसमें 1,44,428 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। इस योजना में विशेष श्रेणी की दवाइयों/आईवीडी उपकरणों के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 निष्पादन/बिक्री का पहला वर्ष है, और तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक प्रोत्साहन दावों के लिए पात्र मानदंडों को प्राप्त करने और परियोजना प्रबंधन एजेंसी द्वारा सत्यापन के आधार पर आवेदकों को नवंबर 2024 तक 3384.75 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।

कुछ चालू परियोजनाओं की झलक:

बायोकॉन लिमिटेड- बेंगलुरु संयंत्र	सिम्बियोटेक लैब्स- इंदौर संयंत्र

5. फार्मास्यूटिकल्स उद्योग को मजबूत बनाना (एसपीआई):

फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ “फार्मास्यूटिकल उद्योग को मजबूत बनाने” (एसपीआई) की योजना किया है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में मौजूदा फार्मा क्लस्टरों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता व स्थिरता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि फार्मा एमएसएमई क्लस्टरों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा सके।

एसपीआई योजना के लिए सिडबी को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

यह योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:

(i) **साझा सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)**

(ii) **संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस)**

(iii) फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)

(i) साझा सुविधाओं के लिए फार्मास्यूटिकल उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ), ताकि मौजूदा फार्मास्यूटिकल क्लस्टरों की क्षमता को मजबूत किया जा सके और साझा सुविधाएं बनाकर उनके सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। इससे न केवल गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि क्लस्टरों का सतत विकास भी सुनिश्चित होगा।

इस उप-योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में पात्र गतिविधियों की सूची निम्नानुसार है:

a) अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं
b) फार्मा उत्पादों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला
c) एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स
d) लॉजिस्टिक सेंटर
e) ट्रेनिंग सेंटर

इस योजना के अंतर्गत अब तक 07 परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है।

(ii) संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (आरपीटीयूएएस), यह योजना मूल रूप से फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस) के रूप में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियामक मानकों (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी या अनुसूची-एम) को पूरा करने के लिए प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम फार्मा उद्यमों (एमएसएमई) को सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र ऋण घटक के लिए ब्याज अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसकी ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये है।

पीटीयूएएस को 11 मार्च 2024 को संशोधित किया गया और इसका नाम बदलकर 'संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना' (आरपीटीयूएएस) कर दिया गया, ताकि वैश्विक मानकों के साथ इसके समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए हमारे फार्मास्यूटिकल उद्योग की तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने और उन्नत करने में मदद मिल सके। संशोधित दिशानिर्देश 14 मार्च 2024 को मौजूदा फार्मा इकाइयों को 'संशोधित अनुसूची एम' और 'डब्ल्यूएचओ-जीएमपी' मानकों में अपग्रेड करने की सुविधा देने के उद्देश्य से जारी किए गए थे, जिससे हमारे देश में निर्मित फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ सके। इस योजना के तहत अधिकतम प्रोत्साहन राशि को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करके और योजना में पात्र गतिविधियों

के तहत “उत्पादन उपकरण” पर किए गए व्यय को शामिल करके फार्मा इकाइयों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 17 सितम्बर 2024 को योजना को और उदार बनाया गया है।

आरपीटीयूएएस के तहत, पिछले तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित औसत टर्नओवर मानदंड वाली फार्मास्यूटिकल इकाइयों को 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा, जो अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये तक होगा:

- टर्नओवर 1 करोड़ से 50 करोड़- निवेश का 20 प्रतिशत
- टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़- निवेश का 15 प्रतिशत
- टर्नओवर 250 करोड़ से 500 करोड़- निवेश का 10 प्रतिशत

इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एप्लीकेशन विंडो 11 अप्रैल 2024 से खोली गई है और नवंबर 2024 तक 210 पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें से योजना संचालन समिति (एसएससी) ने 07 नवंबर 2024, 12 नवंबर 2024 और 25 नवंबर 2024 को आयोजित अपनी बैठकों में 62 आवेदनों को पहले ही मंजूरी दे दी है।

(iii) फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस) का उद्देश्य अध्ययन/सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रम, डाटाबेस का सृजन और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाना है।

पीएमपीडीएस उप-योजना के तहत, 2024-25 में (10 दिसम्बर 2024 तक) **12** कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, 2023-24 में नौ अध्ययन कार्य दिए गए, जिनमें से पांच अध्ययन पूरे हो चुके हैं और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो नए अध्ययन कार्य दिए गए हैं।

6. बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना:

भारत सरकार ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना को 20 मार्च 2020 को मंजूरी दी और 21 जुलाई 2020 को अधिसूचित किया है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक है। इस योजना का उद्देश्य देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देना है, ताकि पार्कों में स्थित बल्क ड्रग यूनिटों को विश्वस्तरीय कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके, ताकि बल्क ड्रग की विनिर्माण लागत में काफी

कमी लाई जा सके और इस प्रकार घरेलू बल्क ड्रग उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर भारत को बल्क ड्रग में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत विभाग को 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मूल्यांकन के बाद गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

The status of funds released and utilized in the selected Bulk Drug parks is as under-

केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रति पार्क 1000 करोड़ रुपये या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज (सीआईएफ) की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के मामले में 90 प्रतिशत), जो भी कम हो, के अधीन है। इस योजना के लिए आवंटित धनराशि 3000 करोड़ रुपये है। प्रत्येक चयनित राज्य यानी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। सभी 3 चयनित पार्कों में निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं। चयनित बल्क ड्रग पार्कों में जारी और उपयोग की गई धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है-

राज्य	**कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**कुल सीआईएफ लागत (करोड़ रुपये में)**	**जारी केन्द्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**	**राज्य के हिस्से सहित नवंबर 2024 तक उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)**
गुजरात	2507.02	1457.01	299.25	150.60
हिमाचल प्रदेश	1923	1118.46	225	41.55
आंध्र प्रदेश	1876.66	1438.89	225	24.60

7. **फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एफडीआई:**

भारत में विदेशी निवेश के लिए फार्मास्यूटिकल्स शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपकरणों में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में फार्मास्यूटिकल्स में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की

अनुमति है और ब्राउनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजनाओं के लिए 74 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

मई 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को समाप्त करने के बाद, फार्मास्यूटिकल विभाग को सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा, विभाग 2020 के प्रेस नोट 3 (दिनांक 17 अप्रैल 2020) के तहत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के सभी एफडीआई प्रस्तावों पर विचार करता है, जिसमें प्रस्तावों में निवेशक/अंतिम लाभार्थी भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान फार्मास्यूटिकल क्षेत्र (फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण दोनों में) में एफडीआई प्रवाह 12,822 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक, एफडीआई प्रवाह (फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण दोनों में) 8,103 करोड़ रुपये रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के दौरान 4,456 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से 31 अक्टूबर 2024 के दौरान ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए 4,253.53 करोड़ रुपये के ग्यारह एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

8. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर):

- प्रथम राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की स्थापना 1998 में एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब में एनआईपीईआर अधिनियम, 1998 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2007 में अधिनियम में संशोधन के बाद अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता व रायबरेली में छह और एनआईपीईआर स्थापित किए गए। इन सभी सात एनआईपीईआर की पहचान राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में की गई है।
- एनआईपीईआर (संशोधन) विधेयक 2021 के अनुसार, माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में एनआईपीईआर परिषद की स्थापना की गई है। परिषद अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां बनाएगी और एनआईपीईआर के बीच एकरूपता व समन्वय सुनिश्चित करेगी।
- नवंबर 2024 तक इन एनआईपीईआर से कुल 10,960 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे उद्योग के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास और शैक्षणिक संस्थानों को पेशेवर कर्मियों की उपलब्धता की सुविधा मिली है। एनआईपीईआर ने विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 8096

से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 428 से अधिक पेटेंट फाइल किए गए हैं। शिक्षा एवं उद्योग सहयोग और आदान-प्रदान के हिस्से के रूप में, एनआईपीईआर ने उद्योगों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ 303 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- भारत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2024 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार, सात एनआईपीईआर में से पांच को शीर्ष 15 में स्थान दिया गया है, जिनमें से दो ने शीर्ष दस रैंक में स्थान हासिल किया है और एनआईपीईआर हैदराबाद ने "फार्मेसी" श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
- **एनआईपीईआर परिसर का निर्माण:**
  सितंबर, 2021 में आयोजित ईएफसी बैठक में वित्त मंत्रालय ने मौजूदा 7 एनआईपीईआर को मजबूत करने के लिए 1500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ईएफसी ने गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और हाजीपुर में छह एनआईपीईआर के परिसरों के निर्माण को मंजूरी दी है। एनआईपीईआर मोहाली में पहले से ही एक अच्छी तरह से काम करने वाला परिसर है। गुवाहाटी और अहमदाबाद में परिसर का निर्माण पूरा हो चुका है। हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली और हाजीपुर में अन्य चार एनआईपीईआर के परिसरों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

मौजूदा नीति/कार्यक्रम/योजनाएं (एनआईपीईआर/अनुसंधान एवं विकास प्रभाग):

(i) भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति: विभाग ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री के अनुमोदन से डीओपी ओएम दिनांक 05 मार्च 2024 के माध्यम से भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और मेडटेक अनुसंधान एवं विकास परिषद (आईसीपीएमआर) का गठन किया है। विभाग ने अनुसंधान एवं विकास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल विकसित किया है, तथा यह पोर्टल 2 अप्रैल 2024 से चालू है।

(ii) फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना (पीआरआईपी): मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों (वित्तीय वर्ष 23-24 से 27-28) की अवधि में **5000 करोड़ रुपये** के बजट परिव्यय के साथ **पीआरआईपी (फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने)** योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए उद्योग-अकादमिक संपर्क को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान की संस्कृति को विकसित करना तथा हमारे वैज्ञानिकों के समूह का प्रोत्साहित करना है। इससे निरंतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होगा और देश में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा।

इस योजना के दो घटक हैं:

घटक ए: एनआईपीईआर में 7 सीओई की स्थापना करके अनुसंधान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना- ये सीओई 700 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पूर्व-चिह्नित क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। संचालन समिति ने मार्च 2024 में आयोजित अपनी पहली बैठक में 700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सीओई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसे 5 वर्षों की अवधि में जारी किया जाएगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 243 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एनआईपीईआर मोहाली, एनआईपीईआर अहमदाबाद, एनआईपीईआर गुवाहाटी और एनआईपीईआर हैदराबाद में सीओई के लिए वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास समारोह 29 अक्टूबर 2024 को आयोजित किया गया था। पहली किस्त के रूप में एनआईपीईआर को 20.46 करोड़ रुपये (लगभग) जारी किए गए हैं।

घटक बी: घटक बी का उद्देश्य छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जैसे कि नई रासायनिक/जैविक इकाइयां, बायोसिमिलर सहित कॉम्प्लेक्स जेनरिक, चिकित्सा उपकरण, स्टेम सेल थेरेपी, ऑर्फन ड्रग, एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोधी दवाएं आदि, जिसमें बड़े उद्योगों, एमएसएमई, एसएमई, स्टार्टअप्स को इन-हाउस अनुसंधान और सरकारी संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस घटक का वित्तीय परिव्यय 4250 करोड़ रुपये है। घटक बी को अनुसंधान के प्रकार और स्तर के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। योजना के घटक बी के लिए पीएमए (परियोजना प्रबंधन एजेंसी) के रूप में काम करने के लिए एक कंसल्टिंग फर्म को दो बोली प्रणाली में खुली निविदा के माध्यम से चुना गया है।

2024 के दौरान 7 एनआईपीईआर की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

एनआईपीईआर अहमदाबाद

(i) एनआईपीईआर-अहमदाबाद ने फार्मेसी श्रेणी के अंतर्गत एनआईआरएफ-2024 (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क-2024) में 15वां स्थान हासिल किया है।

(ii)एनआईपीईआर अहमदाबाद ने 23 जुलाई 2024 को “इम्प्लांट्स/इन्सर्ट के निर्माण में हॉट मेल्ट एक्सट्रूज़न” विषय पर एक दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

(iii) द बोस्टन सोसाइटी और एनआईपीईआर अहमदाबाद ने 22 सितंबर 2024 को एप्लाइड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस (एपीए)-2024 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

(iv) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर, 2024 को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एनआईपीईआर अहमदाबाद में चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

एनआईपीईआर गुवाहाटी

(i) एनआईपीईआर गुवाहाटी ने फार्मेसी श्रेणी के तहत एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में 12वां स्थान हासिल किया।

(ii) एनआईपीईआर गुवाहाटी ने फार्मास्यूटिकल एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों के लिए सीएडी मॉडल सहित अत्याधुनिक 3डी/4डी प्रिंटिंग तकनीक के साथ नजदीकी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करना है।

IDEAS ARE EASY. IMPLEMENTATION IS HARD.

(iii) एनआईपीईआर गुवाहाटी ने नालंदा विश्वविद्यालय (आसियान-भारत विश्वविद्यालय नेटवर्क का नोडल संस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो एनआईपीईआरजी को आसियान देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रमों, डॉक्टरेट छात्र आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

(iv) फार्मेसी प्रैक्टिस विभाग, एनआईपीईआर गुवाहाटी को दिशानिर्देशों के लिए साक्ष्य केंद्र, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार के लिए एक तकनीकी संसाधन केंद्र के रूप में पहचाना गया ताकि साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देशों को विकसित करने और बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य सेवा में साक्ष्य-आधारित कार्यप्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण किया जा सके।

(v) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर, 2024 को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के शुभ अवसर पर एनआईपीईआर गुवाहाटी में फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

Prime Minister
Shri Narendra Modi

एनआईपीईआर हाजीपुर

(i) एनआईपीईआर-हाजीपुर, फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा अनुमोदित जैविक चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना कर रहा है।

(ii) एनआईपीईआर हाजीपुर ने 19 सितंबर 2024 को इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन डिस्फंगक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ द काग्निटिव डिज़ीज़ पर संगोष्ठी का आयोजन किया

(iii) एनआईपीईआर हाजीपुर ने 04 अक्टूबर, 2024 को "फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंटः फ्रॉम आर एंड डी टू रजिस्ट्रेशन" शीर्षक से एक हाइब्रिड संगोष्ठी का आयोजन किया।

(iv) एनआईपीईआर हाजीपुर ने कई अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं विकसित की हैं, जिनमें केंद्रीय उपकरण सुविधा, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप सुविधा, सेल कल्चर सुविधा और पायलट फॉर्मूलेशन यूनिट शामिल हैं। ये सुविधाएं अनुसंधान उत्कृष्टता और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

एनआईपीईआर हैदराबाद

(i) एनआईपीईआर हैदराबाद ने फार्मेसी श्रेणी के अंतर्गत एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया।

(ii) एनआईपीईआर हैदराबाद ने 9-10 अगस्त, 2024 को ड्रग डिस्कवरी, डिलीवरी और डायग्नोस्टिक्स (आईसीडी-4) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

ICD4-2024
International Conference on Drug Discovery, Delivery and Diagnostics

(iii) जैव सुरक्षा स्तर 3 (बीएसएल-3) प्रयोगशाला सुविधा को फार्मास्यूटिकल्स विभाग के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री अवधेश कुमार चौधरी द्वारा 18 अक्टूबर, 2024 को एनआईपीईआर

हैदराबाद के निदेशक डॉ. शैलेंद्र सराफ और एनआईपीईआर हैदराबाद के संकाय/कर्मचारियों की उपस्थिति में समर्पित किया गया।

(iv) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के शुभ अवसर पर एनआईपीईआर हैदराबाद में बल्क ड्रग्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

एनआईपीईआर कोलकाता

(i) एनआईपीईआर कोलकाता ने "रीसेंट एडवांसेस इन जीन एडिटिंग एंड नेक्सट-जनरेशन सीक्वेन्सिंग टेक्नोलॉजीज" विषय पर सेमिनार सह कार्यशाला का आयोजन किया।

(ii) एनआईपीईआर कोलकाता ने डीएनडीआई जिनेवा, स्विटजरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक सहयोग में शामिल होना है, जिसमें डीएनडीआई रसायन विज्ञान परियोजना के लिए स्टूडेंट क्राउड-सोर्सिंग मॉडल के कार्यान्वयन पर विचार करके ओपन-सोर्स ड्रग डिस्कवरी की अवधारणा की खोज कर रहा है।

(iii) एनआईपीईआर कोलकाता ने सीएसआईआर-आईआईसीटी हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य डीबी/डीबी माइस में एनआईपीईआर-के923 की मोटापा-रोधी गतिविधि का मूल्यांकन करना है।

एनआईपीईआर मोहाली

(i) एनआईपीईआर मोहाली ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (जीओआई) की द्विवार्षिक कार्य योजना के तहत, “भारत में जेनेरिक दवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ दवा की कीमतों पर ट्रिप्स के प्रभाव” पर अध्ययन किया।

(ii) आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान को एक साथ लाने तथा स्वस्थ भारत की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन और एनआईपीईआर, एसएएस नगर के बीच 09 नवंबर 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

9th November 2024
MoU Signing Ceremony
Between
Patanjali Research Foundation, Haridwar, Uttarakhand
and

(iii) माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के शुभ अवसर पर एनआईपीईआर मोहाली में बल्क ड्रग्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

(iv) एनआईपीईआर मोहाली ने “प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना” पर एक विशेष क्षमता निर्माण आईटीईसी कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि आईटीईसी देशों को दुनिया भर में आम लोगों को सस्ती दवाओं के लिए पीएमबीजेपी के कार्य मॉडल के बारे में बताया जा सके।

एनआईपीईआर रायबरेली

(i) एनआईपीईआर- रायबरेली ने 17 से 21 जुलाई, 2024 तक “डिजाइन एंड कैरिक्टरिज़ेशन ऑफ नैनोमैटेरियल्स” पर सर्टिफिकेट कोर्स और व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया।

(ii) 2024. एनआईपीईआर रायबरेली ने द डिजाइन ऑफ एक्स्पेरिमेन्ट एंड बायोस्टैटिस्टिक्स पर दो दिवसीय कार्यशाला और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. मुरलीधर ए, पीएचडी, ग्लोबल जेएमपी टीम ने 12 अगस्त और 13 अगस्त 2024 को प्रशिक्षित किया।

National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raebareli
ER-R

(iii) एनआईपीईआर रायबरेली के फार्मास्यूटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी विभाग ने हिस्टोलॉजी टेक्निक्स एंड स्टेनिंग विषय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। डॉ. मुरलीधर ए, पीएचडी, ग्लोबल जेएमपी टीम ने 17 से 20 सितंबर 2024 तक प्रशिक्षण दिया।

9. राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए):

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी) के विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र संख्या 159 दिनांक 29.08.97 में प्रकाशित प्रस्ताव के तहत किया गया था। एनपीपीए के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत अनुसूचित फॉर्मूलेशन की कीमतों का निर्धारण व संशोधन तथा कीमतों की निगरानी और प्रवर्तन शामिल है। एनपीपीए औषधि नीति और दवाओं की सामर्थ्य, उपलब्धता और पहुंच से संबंधित मुद्दों पर सरकार को जानकारी भी प्रदान करता है।

जनवरी से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए प्रमुख उपलब्धियां और पहल निम्नलिखित हैं : **दवाओं की अधिकतम कीमत का निर्धारण:** एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत तय करता है। डीपीसीओ, 2013 में अपनाए गए बाजार आधारित दृष्टिकोण के तहत, एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के तहत अब तक (12 दिसंबर 2024) तक 926 फॉर्मूलेशन (एनएलईएम 2022 के तहत 742 फॉर्मूलेशन और एनएलईएम 2011 और 2015 के तहत 184 फॉर्मूलेशन) की अधिकतम कीमतें तय की हैं। चालू कैलेंडर वर्ष में 37 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत तय की गई है। कीमतों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत कीमत में लगभग 16.82 प्रतिशत की कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 3740 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, एनएलईएम, 2022 के तहत 13 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतों को 12 दिसंबर 2024 को आयोजित 128वीं बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है, हालांकि, इस संबंध में अधिसूचना जारी की जानी बाकी है।

एनएलईएम 2022 के तहत कैंसर रोधी दवाओं की कीमत में संशोधन: 12 दिसंबर 2024 तक, 131 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन (उपशामक देखभाल सहित) की अधिकतम कीमतें प्रभावी हैं। एनएलईएम, 2022 के तहत 120 कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन (उपशामक देखभाल सहित) की अधिकतम कीमत तय की गई हैं। इसके अलावा, एनएलईएम, 2015 के तहत तय की गई 11 फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत भी प्रभावी हैं। इसके परिणामस्वरूप एनएलईएम, 2022 के तहत कैंसर रोधी फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतों के तय किए जाने से लगभग 294.34 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई है।

दवाओं के खुदरा मूल्य का निर्धारण: एनपीपीए डीपीसीओ, 2013 के अनुसार 'नई दवाओं' के खुदरा मूल्य तय करता है जो केवल आवेदक विनिर्माण/विपणन कंपनियों पर लागू होते हैं। एनपीपीए ने आज तक लगभग **3046 'नई दवाओं'** के खुदरा मूल्य अधिसूचित किए हैं। इनमें से चालू कैलेंडर वर्ष में 440 नई दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए गए हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा 12 दिसंबर 2024 को आयोजित 128वीं बैठक में लगभग 60 नई दवाओं के खुदरा मूल्यों को मंज़ूरी दी गई है। हालांकि, इस संबंध में अधिसूचना जारी की जानी है।

डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के अंतर्गत मूल्य संशोधन

एनपीपीए को विभिन्न दवा विनिर्माण/विपणन कंपनियों और उद्योग संघों से 77 फॉर्मूलेशन के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें उनके फॉर्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि का अनुरोध किया गया था। यह अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उत्पादन की लागत में वृद्धि, सक्रिय औषधि सामग्री (एपीआई) की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन, कुछ फॉर्मूलेशन को बंद करने का

अनुरोध आदि जैसे कारणों से मौजूदा दरों पर इन दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना व्यावहारिक नहीं था। विस्तृत जांच के बाद एनपीपीए ने 8 दवाओं के 11 फॉर्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और बाजार में इन दवाओं की अनुपलब्धता के कारण जनता को महंगे विकल्पों को अपनाने के लिए मजबूर न होना पड़े। इनमें से अधिकांश दवाएं कम कीमत वाली हैं और आमतौर पर देश के जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए ज़रूरी प्राथमिक उपचार के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, टीबी, मानसिक स्वास्थ्य विकार आदि के उपचार के लिए किया जाता है। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2019 और 2021 में अन्य कुछ दवाओं की कीमतों में भी इसी तरह की वृद्धि की अनुमति दी गई।

साप्ताहिक सर्वेक्षणों के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता की निगरानी: देश भर में विभिन्न स्थानों पर दवाइयों की दुकानों पर मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) द्वारा अपने-अपने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नियमित सर्वेक्षणों के माध्यम से खुदरा स्तर पर प्रमुख दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है।

निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियां सरकार डीपीसीओ, 2013 के तहत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों की प्रभावी ढंग से निगरानी कर रही है और राज्य औषधि नियंत्रकों से प्राप्त संदर्भों, व्यक्तियों, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों, बाजार आधारित आंकड़ों से प्राप्त रिपोर्टों और शिकायत निवारण वेबसाइटों, 'फार्मा जन समाधान' और 'केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)' के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। वर्ष 2024 (01 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक) के दौरान 1878 नमूने एकत्र किए गए और प्रथम दृष्टया मूल्य उल्लंघन के 856 मामले पाए गए।

ई-पहल: एनपीपीए ने आम जनता की शिकायतों के बेहतर निपटान के लिए निम्नलिखित ई-पहल शुरू की हैं:

अ. फार्मा सही दाम और फार्मा जन समाधान एपीपी

फार्मा सही दाम ऐप 2.0 एंड्रॉयड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, इसमें दवाओं की कीमतों की खोज (ब्रांड के अनुसार या फॉर्मूलेशन के अनुसार), अनुसूचित दवाओं की नवीनतम अधिकतम कीमतों की खोज आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यूजर एक ही फॉर्मूलेशन के विभिन्न

ब्रांडों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं; और मैसेज के जरिए मूल्य विवरण आदि साझा कर सकते हैं। ऐप या दवा खोजने की सुविधा देने वाले उपकरण उपभोक्ताओं को यह सत्यापित करने की सुविधा देता है कि दवाएं अनुमोदित मूल्य सीमा के भीतर बेची जा रही हैं या नहीं और साथ ही दवा कंपनी/केमिस्ट द्वारा अधिक मूल्य निर्धारण के किसी भी मामले का पता लगाने में भी मदद करता है।

ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए यूजर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या पहले की गई शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। यदि अधिकतम मूल्य का उल्लंघन होता है, तो खरीदार फार्मा जन समाधान/फार्मा सही दाम (http://www.nppaindia.nic.in/redressal.html)
के माध्यम से कंपनी/केमिस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेगा। एक लाख से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हैं और इसकी रेटिंग 3+ है।

एनपीपीए ने शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से फार्मा जन समाधान (पीजेएस) शुरू किया। कोई भी हितधारक दवाओं की अनुपलब्धता, दवाओं की अधिक कीमत, पूर्व मूल्य अनुमोदन के बिना दवाओं की बिक्री, तथा दवाओं की आपूर्ति या बिक्री से इनकार करने से संबंधित ऑनलाइन शिकायत पीजेएस के माध्यम से एनपीपीए को दर्ज करा सकता है। शिकायत एनपीपीए की वेबसाइट यूआरएल: https://nppaipdms.gov.in/NPPA/ PharmaJanSamadhan/registration.
के माध्यम से पीजेएस में दर्ज कराई जा सकती है।

पीजेएस के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर एनपीपीए द्वारा पूरी जानकारी के साथ 48 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू की जाती है। जैसे ही पीजेएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायतकर्ता के मोबाइल/ई-मेल आईडी पर पंजीकरण संख्या के साथ शिकायत प्राप्ति की पावती भेजी जाती है। शिकायतकर्ता पोर्टल पर उस संदर्भ संख्या का उपयोग करके अपनी शिकायत की स्थिति को जान सकता है। अधिक कीमत वसूलने और मूल्य अनुमोदन के बिना दवाएं बेचने आदि के मामले में, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है।

ब. एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (आईपीडीएमएस)

एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत प्रणाली है जिसे एनपीपीए ने 2015 में शुरू किया था। हालांकि, एक उन्नत, उत्तरदायी क्लाउड-आधारित संस्करण, आईपीडीएमएस 2.0 को 29 अगस्त, 2022 को लॉन्च किया गया था। यह देश में दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की

उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी और विनियमन के लिए ऑनलाइन सूचना संग्रह, प्रोसेसिंग और संचार पोर्टल की एक प्रणाली है। इस कैलेंडर वर्ष के दौरान, 05 दिसंबर 2024 तक, 191 कंपनियां और 29039 उत्पाद आईपीडीएमएस में पंजीकृत हुए।

उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी (सीएपीपीएम) योजना

सीएपीपीएम योजना के दो घटक हैं, अर्थात (i) मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) की स्थापना के लिए सहायता, और (ii) सीएपीपीएम के लिए विज्ञापन और प्रचार। पीएमआरयू सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी हैं, जिनके पास अपना स्वयं का एसोसिएशन मेमोरेंडम/उपनियम हैं और वे एनपीपीए की पहुंच बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य औषधि नियंत्रकों की प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में काम करते हैं। 13 दिसंबर 2024 तक, 31 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में पीएमआरयू की स्थापना की जा चुकी है।

(i) एनपीपीए द्वारा सीएपीपीएम के तहत आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियां:

(क) एनपीपीए ने 2024 में ग्यारह ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं। इन वेबिनारों/अभियानों का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी के बारे में जागरूकता और मार्गदर्शन प्रदान करना; साप्ताहिक सर्वेक्षण; दवाओं के परीक्षण नमूनों का संग्रह/खरीद; आईपीडीएमएस के माध्यम से संभावित उल्लंघन मामलों की रिपोर्टिंग; पीएफएमएस के माध्यम से व्यय वहन करने पर मार्गदर्शन; और रिकॉर्ड/सहायक दस्तावेजों का रखरखाव एवं स्टेटिक और डायनामिक रिपोर्ट सहित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

(ख) 14-15 अक्टूबर को यशोभूमि, दिल्ली में आयोजित औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी:

एनपीपीए ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा आयोजित औषधि विनियामक प्राधिकरणों के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (14-15 अक्टूबर को यशोभूमि, दिल्ली में आयोजित) में एक प्रदर्शक के रूप में भाग लिया, जिसमें 194 से अधिक डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के विनियामक प्राधिकरण, नीति-निर्माता और स्वास्थ्य अधिकारी एक साथ आए। विभिन्न देशों के विनियामक, निर्माता, राज्य औषधि नियंत्रक, विपणनकर्ता, छात्र, शोधकर्ता और मीडियाकर्मी जैसे लगभग 100 प्रतिनिधियों ने एनपीपीए स्टॉल का दौरा किया।

JAN AUSHADHI

(ii) पीएमआरयू द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार:

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों के लिए वेबिनार: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों के लिए पीएमआरयू प्रभाग द्वारा निम्नानुसार इंटरैक्टिव वेबिनार आयोजित किए गए:

- 'अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान पीएमआरयू द्वारा की गई गतिविधियां' विषय पर एक वेबिनार 07 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान पीएमआरयू द्वारा की गई गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करना था।
- 28 मार्च 2024 को 'उल्लंघन के मामलों में अधिक शुल्क वसूलने का आकलन करने की पद्धति' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य उल्लंघन में अधिक शुल्क वसूलने का आकलन करने की पद्धति के बारे में पीएमआरयू के साथ व्यापक मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करना था।
- 21 मई 2024 को 'अनुसूचित और गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन की कीमतों की निगरानी' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित और गैर-

अनुसूचित फॉर्मूलेशन की मूल्य निगरानी गतिविधियों के लिए कार्यप्रणाली के बारे में पीएमआरयू के साथ व्यापक मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करना था।

- पीएमआरयू डिवीजन ने ओवरचार्जिंग डिवीजन के साथ मिलकर 01 अगस्त 2024 को “पीएफएमएस में उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाना” विषय पर एक इंटरैक्टिव वेबिनार आयोजित किया। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य पीएफएमएस पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में पीएमआरयू के साथ व्यापक मार्गदर्शन और ज्ञान साझा करना था।
- अंगदान के महत्व पर वेबिनार: भारतीय अंगदान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, 05 अगस्त 2024 को अंगदान के महत्व पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के ट्रांसलेशनल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन विभाग के फैकल्टी डॉ. गौरव शर्मा ने अंगदान और प्रत्यारोपण की महत्वपूर्ण भूमिका पर कुछ अहम जानकारी प्रस्तुत की। वेबिनार में एनपीपीए, पीएमआरयू और एसडीसी के अधिकारियों ने भाग लिया।
- दिनांक 20 सितंबर 2024 को आईपीडीएमएस 2.0 के माध्यम से ओवरचार्जिंग मामलों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को उचित तरीके से प्रस्तुत करने को लेकर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य आईपीडीएमएस 2.0 की सहायता से पीएमआरयू द्वारा की गई गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्रदान करना था।
- पीएमआरयू द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार: 17 पीएमआरयू द्वारा अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा, झारखंड, लद्दाख, मेघालय, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में साठ राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए।

(iii) पीएमआरयू द्वारा की गई आईईसी गतिविधियां:

22 पीएमआरयू द्वारा अपने-अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यानी पुडुचेरी, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, केआइएचटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान पीएमआरयू में 116 आईईसी गतिविधियां की गईं। इन गतिविधियों का उद्देश्य दवाओं को सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध कराने, फार्मा सही दाम ऐप और आईपीडीएमएस 2.0 का प्रचार व उपयोग, पीएमआरयू के माध्यम से दवाओं की कीमतों की निगरानी में एनपीपीए की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना था।

एनपीपीए का ई-न्यूज़लेटर: औषध संदेश

वर्ष के दौरान ई-न्यूज़लेटर के पांच अंक जारी किए गए। इसमें भारत और विश्व में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी शामिल थी, जिसमें एनपीपीए की विनियामक गतिविधियां भी शामिल थीं। इसके अलावा, इन अंकों में एक फार्मा विशेषज्ञ का लेख भी शामिल किया गया है और इन पांच अंकों में निम्नलिखित विशेषज्ञ लेख प्रकाशित किए गए:

माह	**लेख का विषय**
फरवरी, 2024	डब्ल्यूएचओ अवेयर वर्गीकरण के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग का विश्लेषण
अप्रैल, 2024	रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर)- स्वास्थ्य सेवा के लिए एक अहम चुनौती
जून, 2024	भारत में उभरती हुई बीमारियों पर महामारी विज्ञान का परिप्रेक्ष्य
अगस्त, 2024	अंग दान और प्रत्यारोपण की बुनियादी बातों को समझना
अक्टूबर, 2024	फार्मास्यूटिकल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

अन्य गतिविधियां:

(i) 19 सितंबर 2024 को इंडिया हेल्थकेयर कॉन्फ्रेंस 'नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थकेयरः फ्रॉम विजन टू रियलिटी' में एनपीपीए के सदस्य सचिव ने भाग लिया और मुख्य भाषण दिया।

NAVIGATING THE FUTURE OF HEALTHCARE
VISION TO REALITY
GS1 India
50 transforming tomorrow
CONFERENCE ON
NAVIGATING THE FUTURE OF HEALTHCARE

(ii) एनपीपीए द्वारा 21 जून, 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें एनपीपीए के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को बढ़ावा दिया। योग दिवस का विषय "स्वयं और समाज के लिए योग" था।

(iii) एक्सपायर हो चुकी/अप्रयुक्त दवाओं का उचित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनपीपीए ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी)/अस्पताल, दिल्ली और मेडिफ्लो के सहयोग से इस वर्ष भी अपनी पहल जारी रखी तथा वाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन में एनपीपीए के कार्यालय परिसर में एक कलेक्शन बॉक्स रखा, ताकि एक्सपायर हो चुकी/अप्रयुक्त दवाओं का संग्रह और उसके बाद उचित निपटान किया जा सके।

Left Over Medicine Donation Box
NPPA
NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY
In Association with
LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE & MEDIFLO

10. चिकित्सा उपकरण:

चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना

चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने की योजना: पार्कों में स्थित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्वस्तरीय कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए 20 मार्च, 2020 को "चिकित्सा उपकरण पार्कों को बढ़ावा देने" की योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 400 करोड़ रुपये है और कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2020-2021 से वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक है। इस योजना के तहत, विभाग को 16 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को इन चार राज्यों में प्रस्तावित चिकित्सा उपकरण पार्कों में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई। अन्य सभी तीन पार्कों (हिमाचल प्रदेश को छोड़कर) में सिविल कार्य प्रगति पर है, जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा (सीआईएफ) के लिए हाउसिंग इक्विपमेंट हेतु अधिकांश संरचनाओं का निर्माण हो चुका है, जबकि उपकरणों की खरीद का कार्य प्रगति पर है।

चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण

चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 08 नवंबर 2024 को पांच उप-योजनाओं के साथ "चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण" नामक एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक

उपकरणों का निर्माण, कौशल विकास, क्लीनिकल स्टडीज के लिए सहायता, साझे बुनियादी ढांचे का विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। योजना की उप-योजना इस प्रकार है:-

(i) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझी सुविधाएं (कॉमन फैसिलिटीज): साझी बुनियादी ढांचा सुविधाएं बनाने, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने और क्लस्टर गुणवत्ता में सुधार करने तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस योजना का कुल परिव्यय 110 करोड़ रुपये है।

इस योजना के अंतर्गत साझी सुविधाएं स्थापित करने के लिए 4 प्रस्तावों और परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए 6 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(ii) आयात निर्भरता को कम करने के लिए मार्जिनल इन्वेस्टमेंट योजना: इन-विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों, कच्चे माल और सहायक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं की आयातित प्रमुख घटकों और कच्चे माल पर निर्भरता कम हो और हमारी मूल्य श्रृंखलाओं की मजबूती बढ़े। इस योजना का कुल परिव्यय 180 करोड़ रुपये है।

(iii) चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कौशल विकास: इस घटक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान में मौजूद खाई को पाटना और चिकित्सा प्रौद्योगिकी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है, ताकि चिकित्सा प्रौद्योगिकी के तेजी से नवाचार करने वाले बहु-विषयक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण समूह तैयार किया जा सके और इस क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम बनाया जा सके। इस योजना का कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये है। उप-योजना के तहत, घटक-ए के लिए 13 प्रस्तावों और घटक-बी के लिए 5 प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

(iv) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना: नैदानिक साक्ष्य द्वारा समर्थित उपकरणों के विकास को बढ़ावा देकर और नैदानिक (क्लीनिकल) डेटा तैयार करके चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करना, जो भारत में निर्मित उपकरणों की सुरक्षा व प्रभावकारिता को प्रदर्शित करता है। इससे बेहतर प्रभावकारिता और सुरक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इससे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए घरेलू

निर्माताओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी, जिससे देश के बाहर के बाजारों में उनके लिए अवसर खुलेंगे। इस योजना का कुल परिव्यय 100 करोड़ रुपये है।

(v) चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना: चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाकर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपने ज्ञान व अनुभव को साझा करना तथा अध्ययन करने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, डेटाबेस बनाने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना। इस योजना का कुल परिव्यय 10 करोड़ रुपये है।

योजना के शुभारंभ की एक झलक -

Department of Pharmaceuticals
Ministry of Chemicals and Fertilizers
Government of India
Scheme
Dr. ARUNISH CHAWLA
JAGAT PRAKASH NADDA
ANUPRIYA PATEL

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी। नीति में भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ त्वरित विकास पथ पर लाने की परिकल्पना की गई है ताकि भारत में एक नवोन्मेषी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योग, सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र, सुव्यवस्थित नियामक ढांचे और बेहतर जनशक्ति को तैयार करके रोगियों की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवा परिणामों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले पेटेंट-केंद्रित, अभिनव और किफायती स्वास्थ्य सेवा उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी-एमडी) की स्थापना 22 मई 2023 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए), ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मुख्यालय के साथ फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वावधान में की गई थी। ईपीसी-एमडी का प्राथमिक

उद्देश्य भारत से चिकित्सा उपकरणों एवं संबंधित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद (एनएमडीपीसी) की स्थापना डीपीआईआईटी द्वारा दिनांक 03 मार्च 2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। चूंकि फार्मास्यूटिकल्स विभाग के पास चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने का दायित्व है, इसलिए एनएमडीपीसी का पुनर्गठन किया गया और यह 05 अगस्त 2022 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। परिषद में सरकार और उद्योग के हितधारक शामिल हैं तथा यह व्यापार करने में आसानी और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नियामक मुद्दों पर चर्चा करने एवं उन्हें हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

मेडिटेक स्टैकथॉन 2024: फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने क्रमशः 07 मई 2024 और 29 अगस्त 2024 को दो राउंड में मेडिटेक स्टैकथॉन, 2024 का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य चयनित चिकित्सा उपकरणों की मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण करना और भारतीय मेडटेक क्षेत्र में विकास एवं नवाचार के अवसरों की पहचान करना था। स्टैकथॉन में कैंसर थेरेपी, इमेजिंग, क्रिटिकल केयर और अन्य सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरण खंडों पर केंद्रित समूह चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। इसका लक्ष्य भारतीय मेडटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नीति और नियामक परिवर्तनों के साथ-साथ उद्योग की सर्वोत्तम तौर-तरीकों के लिए सिफारिशें विकसित करना था। शुल्क व्युत्क्रम के मुद्दों को हल करके, निर्माता अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सकते हैं और स्थायी संचालन बनाए रख सकते हैं।

कार्यक्रम की झलक

CII
Confederation of Indian Industry
Department of Pharmaceuticals
Ministry of Chemicals and Fertilizers
Government of India
MEDI TECH STACKATHON 2024
7 May 2024
New Delhi
HIMANSHU BAID
ARUNISH CHAWLA
RAVINDRA PRATAP SINGH

MediTech
STACKATHON-II 2024
21 August 2024, Federation House, New Delhi
FICCI
Abbott
ANISH BAFNA
RAVINDRA PRATAP SINGH
ARUNISH CHAWLA
GANESH SABAT

*****

एमजी/आरएमपी/केसी/एसके